

(1) सिविल अपील क्रमांक: 60 / 14

न्यायालय:- द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)  
(समक्ष: श्री पी.सी. आर्य )

सिविल अपील क्रमांक: 60 / 14  
संस्थापन दिनांक 01.11.2012  
फाइलिंग नंबर-230303002032012

1. इन्द्रसिंह पुत्र ख्याली आयु 35 साल  
जाति काछी (कुशवाह) निवासी ग्राम  
चन्दहारा तहसील गोहद जिला भिण्ड  
म0प्र0

-----अपीलार्थी / वादी

**बनाम**

1. रामौतार सिंह आयु 40 साल पुत्र कंचनसिंह
2. बटुरी आयु 45 साल पुत्र बचनसिंह
3. रामजीलाल आयु 42 साल पुत्र बुद्धे  
समस्त जाति काछी (कुशवाह) नि0गण  
ग्राम चन्दहारा परगना गोहद जिला भिण्ड  
म0प्र0
4. म0प्र0 शासन द्वारा :-  
श्रीमान कलेक्टर महोदय, मण्डल भिण्ड

-----प्रत्यर्थी / प्रतिवादीगण

अपीलार्थी द्वारा श्री अशोक पचौरी अधिवक्ता।  
प्रत्यर्थी क्र0-1 लगायत 3 द्वारा श्री एम0पी0एस0 राणा अधिवक्ता।  
प्रत्यर्थी क्र0-4 पूर्व से एकपक्षीय।

न्यायालय-कुमारी शैलजा गुप्ता, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, गोहद, जिला  
भिण्ड द्वारा व्यवहारवाद प्रकरण क्रमांक-32ए/2011 ई.दी. में पारित निर्णय  
दिनांक 28.09.2012 से उत्पन्न सिविल अपील

**-:- निर्णय -:-**

(आज दिनांक **07 मई 2015** को घोषित किया गया)

01. अपीलार्थी/वादीगण की ओर से उक्त प्रथम सिविल अपील  
अंतर्गत धारा 96 एवं आदेश 41 नियम 1 सी0पी0सी0 के अंतर्गत व्यवहार

न्यायाधीश वर्ग 2, गोहद के सिविल वाद क्रमांक 32ए/2011 में प्रदत्त निर्णय व डिक्री दिनांकित 28.09.2012 से विक्षुप्त होकर प्रस्तुत की है, जिसके द्वारा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी /वादी के वाद को निरस्त किया गया है।

02. प्रकरण में यह निर्विवादित तथ्य है कि अपीलार्थी/वादी इन्द्रसिंह ख्याली का पुत्र है जिसका नाम राजस्व अभिलेख में अन्य लोगों के साथ बतौर भूमिस्वामी सर्वे क्रमांक-1336, 1337 की भूमि पर इन्द्राजित हैं। तथा यह भी निर्विवादित है कि सर्वे नंबर-1563 की भूमि में से प्रत्यर्थी/प्रतिवादीगण द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से भूमि क्रय की गई है।

03. विचारण न्यायालय में अपीलार्थी/वादी का वाद संक्षेप में इस प्रकार रहा है कि विवादित भूमि सर्वे नंबर-136 रकवा 0.36 एवं सर्वे नंबर-1337 रकवा 0.10 है, का वादी रिकॉर्डेड भूमि स्वामी एवं आधिपत्यधारी है। प्रतिवादी/प्रत्यर्थी क्र०-1 लगायत 3 द्वारा दिनांक 01.01.11 को अवैध रूप से नींव खोदने की दुर्भावना से मटेरियल एकत्रित करना शुरू कर दिया। और वादी/अपीलार्थी को यह धौंस दी कि वह विवादित भूमि पर जबरन निर्माण कार्य करेंगे जिसके संबंध में वादी द्वारा तहसीलदार गोहद के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर से तहसीलदार गोहद द्वारा प्रतिवादीगण को निर्माण कार्य न करने की हिदायत दी किन्तु जब वादी अपनी ससुराल में परिवार सहित शादी में शामिल होने के लिये गया तब प्रतिवादी/प्रत्यर्थी द्वारा सर्वे क्रमांक-1337 रकवा 0.10 के दक्षिणी दिशा की ओर 15 फीट लंबी व 5 फीट चौड़ी जगह में नींव खोदकर अवैध निर्माण कार्य चालू कर दिया गया और मटेरियल एकत्रित कर लिया गया। तब दिनांक 18.02.11 को मौके पर सीमांकन कार्य किया गया। तथा प्रत्यर्थी/प्रतिवादीगण को अवैध रूप से निर्माण कार्य रोकने की हिदायत दी गई किन्तु उनके द्वारा पुनः निर्माण करना शुरू कर दिया गया तब वादी/अपीलार्थी ने पुनः तहसीलदार गोहद के यहाँ आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर से तहसीलदार गोहद द्वारा जांच कराई गई। तथा प्रतिवादीगण का निर्माण अवैध संचालित पाये जाने पर प्रतिवेदन राजस्व निरीक्षक दिनांक 23.02.11 के आधार पर तहसीलदार गोहद द्वारा धारा-250 म०प्र० भू-राजस्व संहिता का प्रकरण दर्ज करते हुए अवैध निर्माण कार्य को रूकवाया गया। किन्तु प्रतिवादी/प्रत्यर्थी द्वारा अवैध निर्माण बंद न करने से वादी की विवादित भूमि के स्वत्व व आधिपत्य में खतरा उत्पन्न होने पर वादी द्वारा यह दावा पेश किया गया है। तथा प्रकरण में शासन को तरतीवी पक्षकार बनाया गया है। तथा उचित न्याय शुल्क अदा किया है। अतः वाद पत्र के पद क्रमांक-1 में वर्णित सहायता चाहे जाने बाबत यह वाद प्रस्तुत किया है।

04. प्रतिवादी/प्रत्यर्थी क्र०-1 लगायत 3 ने जवाबदावा पेश कर व्यक्त किया है कि वादी/अपीलार्थी सर्वे क्रमांक-1336 एवं सर्वे क्रमांक-1337 का रिकॉर्डेड भूमिस्वामी एवं आधिपत्यधारी नहीं है और न ही उनके द्वारा विवादित भूमि में कोई मटेरियल निर्माण हेतु एकत्रित किया गया है। वादी/अपीलार्थी ने गलत तौर से तहसीलदार के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किये हैं जो कोई महत्व नहीं रखते हैं न ही बंधनकारी हैं। उन्हें निर्माण कार्य के संबंध में कभी कोई हिदायत

भी नहीं दी गई है। तथा वर्णित सर्वे नंबरों के संबंध में वादी/अपीलार्थी द्वारा कोई खसरा खतौनी भी पेश नहीं की गई है। सर्वे क्रमांक-1337 के संपूर्ण रकवे में वादी के पिता का जो हिस्सा था, वह अन्य व्यक्तियों को बेचा जा चुका है। तथा वादी/अपीलार्थी के द्वारा संबंधित पटवारी मौजा से मिलकर गलत व फर्जी तौर पर खसरा तैयार करवाया गया है। तथा वादी/अपीलार्थी द्वारा तहसीलदार न्यायालय में किस आवेदन के माध्यम से कार्यवाही की गई, उसकी प्रति भी प्रस्तुत नहीं की गई है। उक्त कार्यवाही में प्रतिवादी क०-3 रामजीलाल को पक्षकार नहीं बनाया गया था जिसका कोई कारण दर्शित नहीं किया गया है।

05. उक्त प्रतिवादी/प्रत्यर्थीगण ने अपने जवाबदावे में यह भी व्यक्त किया है कि प्रतिवादी/प्रत्यर्थी क्रमांक-1 व 2 के पिता कंचनसिंह ने सर्वे क्रमांक-1563 का रकवा 17 विस्वा में 1/8 को क़य किया था जिस पर कुछ मटेरियल डालकर उसकी रकवे पर उनकी माँ दौजाबाई एवं प्रतिवादी क०-1 एवं 2 निरंतर निवास करते चले आ रहे हैं। प्रतिवादी/प्रत्यर्थी क०-1 व 4 मध्यप्रदेश सरकार की इन्दिरा आवास योजना के तहत वितरित 20 हजार रुपये की राशि से सर्वे क्रमांक-1563 के अपने हिस्से पर अपना मकान बनाना चाहते हैं जिससे वादी का दूर दूर से कोई संबंध नहीं है। तथा मात्र प्रतिवादी/प्रत्यर्थीगण को हैरान परेशान करने के उद्देश्य से वादी/अपीलार्थी द्वारा कार्यवाही की जा रही है जिसके संबंध में प्रतिवादी क०-1 व 2 द्वारा वादी/अपीलार्थी के विरुद्ध एस०डी०एम० गोहद के यहाँ कार्यवाही की गई थी व पुलिस द्वारा जांच कराई गई थी। पुलिस द्वारा मौके पर जाकर वादी को प्रतिवादी/प्रत्यर्थी क०-1 व 2 एवं उसकी माँ को परेशान न करने के संबंध में हिदायत दी थी। तथा सर्वे नंबर-1336 को वाद पत्र में गलत रूप से विवादित बताया गया है। तथा सर्वे क्रमांक-1337 में से वादी के पिता अपने जीवनकाल में ही अपने हिस्से में विक्रय कर चुके हैं जिस पर क़ेतागण के मकान बने हुए हैं। प्रत्यर्थी/प्रतिवादी क०-3 रामजीलाल के पिता बुद्धे ने अपनी जीवनकाल में वादी के पिता से जगह क़य की थी जिस पर स्वामी होकर आधिपत्यधारी है। अतः वादी/अपीलार्थी को प्रतिवादी/प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ है। तथा कम न्याय शुल्क अदा किया गया है।

06. अतिरिक्त आपत्ति में यह भी व्यक्त किया गया है कि वादी/अपीलार्थी द्वारा वास्तविक स्थिति को छुपाकर पेश किया गया है। उसके पास सर्वे क्रमांक-1336 व 1337 कहीं से और किस तरह से आया। इसका कोई पूर्व का खसरा खतौनी भी पेश नहीं किया गया है। वास्तविकता में सर्वे क्रमांक-1337 के संपूर्ण रकवे में जो हिस्सा वादी के पिता ख्याली का बनता है वह वादी के पिता अपने जीवनकाल में ही अन्य व्यक्तियों को बेचा जा चुका है। खसरा पटवारी मौजा से मिलकर गलत व फर्जी तैयार कराया गया है जिसमें काटपीट स्पष्ट दर्शित होती है। प्रतिवादी/प्रत्यर्थी रामौतार व बटुरी तहसीलदार गोहद के यहाँ भी कार्यवाही में प्रस्तुत हुए हैं तथा उक्त कार्यवाही में वादी ने प्रतिवादी क०-3 रामजीलाल पुत्र बुद्धे निवासी ग्राम चंदहारा को पक्षकार नहीं

बनाया है तथा उसके विरुद्ध कोई सहायता भी नहीं चाही गई है। वास्तविक स्थिति यह है कि प्रतिवादी क्र०-1 व 2 सगे भाई होकर अपने पिता कंचनसिंह पुत्र तेजपालसिंह के पुत्र हैं व कंचन की मृत्यु हो गई है तथा कंचन की पत्नी व प्रतिवादी क्र०-1 व 2 की माता महिला दौजाबाई 80 वर्ष की होकर अभी जीवित हैं। तथा अभी ग्राम व मौजा चंदहारा के सर्वे क्रमांक-1563 का रकवा 17 विस्वा में हिस्सा 1/8 का कय दिनांक 13.08.75 को विक्रेता भोपत सिंह पुत्र लल्ली से विक्रय पत्र द्वारा प्रतिवादी क्र०-1 के पिता ने अपने जीवनकाल में ही खरीद लिया है। तभी से वे निरंतर उसका उपयोग पीढ़ी दर पीढ़ी करते चले आ रहे हैं। तथा अभी तक कच्चा मकान व मडैया डालकर रह रहे हैं। अतः वादी/अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत वाद सब्य निरस्त किये जाने की प्रार्थना की है।

07. वादी/अपीलार्थी की ओर से एक आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 36 नियम 9 सहपठित धारा-151 सी०पी०सी० का पेश कर व्यक्त किया कि प्रकरण में यह विवादित तथ्य कि वादग्रस्त निर्माण भूमि सर्वे क्रमांक-1337 के भू-भाग पर किया जा रहा है जिसके संबंध में राजस्व अधिकारियों के द्वारा जांच स्थल रिपोर्ट एवं सीमांकन रिपोर्ट पेश की गई तो उनके द्वारा अपने प्रतिवेदन में कथित निर्माण कार्य सर्वे नंबर-1337 में होना बताया है जबकि प्रतिवादी क्र०-1 व 2 के द्वारा प्रस्तुत जवाबदावा एवं साक्ष्य में व्यक्त किया गया है कि कथित निर्माण सर्वे नंबर-1563 किया जा रहा था जो उसके स्वामित्व व आधिपत्य का है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में इस संबंध में कोई सकारात्मक न्यायिक निष्कर्ष नहीं निकाला है इसलिये प्रकरण के निराकरण के लिये स्थल निरीक्षण कमीशन के जरिये कराया जाना आवश्यक है। तथा प्रकरण में स्थल निरीक्षण रिपोर्ट के लिये अभिभाषक को कमिशनर के रूप में नियुक्त किया जावे। और उक्त स्थल जांच के सहयोग के लिये राजस्व निरीक्षक एवं मौजा पटवारी की मौजूदगी में स्थल निरीक्षण हो ताकि प्रकरण की वस्तु स्थिति माननीय न्यायालय के समक्ष आ सके और प्रकरण का न्यायपूर्ण निराकरण हो सके। कोर्ट कमिशनर का व्यय अपीलार्थी/वादी वहन करने को तैयार है। अतः कोर्ट कमिशनर के जरिये राजस्व निरीक्षक एवं मौजा पटवारी की उपस्थिति में कथित निर्माण स्थल की जांच कोर्ट कमिशनर के जरिये कराये जाने की प्रार्थना की है।

08. प्रतिवादी/प्रत्यर्थीगण की ओर से उक्त आवेदन का जवाब प्रस्तुत कर व्यक्त किया है कि अपीलार्थी/वादी द्वारा विवादित तथ्य कि वादग्रस्त निर्माण भूमि सर्वे क्रमांक-1337 के भू-भाग पर किया जाना व्यक्त किया है जो गलत है जबकि वास्तविकता यह है कि सर्वे क्रमांक-1337 पर माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गुण-दोष के आधार पर सुनवाई कर निष्कर्ष दिया है। उक्त सर्वे नंबर के संबंध में माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.09.2012 की कॉपी अपील मेमो के साथ अपीलार्थी/वादी द्वारा प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी/वादी द्वारा सभी बातें जो कलम हाजा में वर्णित की हैं वह माननीय न्यायालय को भ्रमित कर वास्तविकता से परे होकर लिखी गई हैं जिसका कोई कानूनी महत्व नहीं है। इस संबंध में माननीय अधीनस्थ

न्यायालय द्वारा वाद प्रश्न निर्मित किया गया है जिस पर समग्र साक्ष्य पक्षकारान से लेकर अपना सकारात्मक न्यायिक निष्कर्ष दिया है। स्थल निरीक्षण संबंधी कमीशन जारी किया जाना न्यायहित में आवश्यक नहीं है। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि विवादित संपत्ति पर कमीशन जारी कर साक्ष्य एकत्रित नहीं की जा सकती है। वाद प्रश्न निर्मित कर न्यायालय द्वारा साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष विनिश्चित किया जाना होता है। अतः आवेदन औचित्यहीन होने से कमीशन जारी किये जाने एवं अन्य चाही गई सहायता को अस्वीकार करते हुए अपीलार्थी/वादी का आवेदन पत्र इसी स्तर पर निरस्त किया जावे।

09. वादी/अपीलार्थी की ओर से एक आवेदन पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी का पेश कर निवेदन किया कि वादी/अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में एक व्यवहारवाद प्रस्तुत किया गया था जो दिनांक 28.09.2012 को निर्णीत हुआ। उक्त निर्णय में अधीनस्थ न्यायालय ने इस बात की फाईन्डिंग दी कि वादी ने अपने इन्द्राज के संबंधमें राजस्व अभिलेख के राजस्व दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये हैं इसलिये यह बात पुष्ट नहीं होती है कि वादी को उक्त भूमि कहाँ से और कैसे प्राप्त हुई। इसी तारतम्य में अपीलार्थी/वादी द्वारा विवादित भूमि के राजस्व कागजात खसरा पंचशाला संवत् 2054 लगायत 2058, संवत् 2059 लगायत 2063 एवं संवत् 2064 लगायत 2058, संवत् 2059 लगायत 2063 एवं संवत् 2064 लगायत 2068 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रकरण में प्रस्तुत की जा रही है। इन दस्तावेजों से वादी/अपीलार्थी को अपने पिता से वारिसान की हैसियत से हुए नामांतरण की पुष्टि होती है जो आज दिनांक तक विवादित भूमि का वादी रिकॉर्डेड भूमिस्वामी होकर आधिपत्यधारी है। उक्त दस्तावेज लोक दस्तावेज होकर प्रमाणित प्रतिलिपि है इसलिये उक्त दस्तावेजों को प्रकरण के अभिलेख पर ग्राह्य किया जाना न्यायोचित है ताकि प्रकरण का न्यायपूर्ण निराकरण हो सके।

10. प्रत्यर्थी/प्रतिवादीगण क्र०-1 लगायत 3 ने उक्त आवेदन का जवाब प्रस्तुत करते हुए व्यक्त किया है कि प्रत्यर्थी/प्रतिवादीगण द्वारा माननीय अधीनस्थ न्यायालय में अपना पक्ष समर्थन किया है जिसके आधार पर दिनांक 28.09.12 को व्यवहारवाद निर्णीत हुआ है जो समुचित फाईन्डिंग देते हुए पारित किया गया है। वादी/अपीलार्थी ने अनावश्यक रूप से वाद प्रस्तुत किया है तथा जिस इन्द्राज के संबंध में वादी/अपीलार्थी ने आपत्ति उठाई है उक्त दस्तावेज वह अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर सकता था तथा विवादित भूमि के राजस्व कागजात खसरा पंचशाला संवत् 2054 लगायत 2058, 2059 लगायत 2063, 2064 लगायत 2068 की प्रमाणित प्रतिलिपि पूर्व में राजस्व अभिलेख में उपलब्ध थीं जिन्हें प्राप्त कर वह प्रस्तुत कर सकता था। उक्त दस्तावेज प्रस्तुत करने का पूरा मौका वादी/अपीलार्थी पर था तथा वांछित दस्तावेज भी उपलब्ध थे फिर क्या कारण रहा कि वह अधीनस्थ न्यायालय में उक्त दस्तावेज क्यों प्रस्तुत नहीं कर सका। अतः अपीलार्थी/वादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज साक्ष्य में ग्राह्य करने के लिये अनुमति दिया जाना उचित नहीं है। अतः आवेदन निरस्त किया जावे।

11. उक्त विचाराधीन प्रथम सिविल अपील के निराकरण हेतु निम्न प्रश्न विचारणीय है :-

- 1- क्या अपीलार्थी/वादी की ओर से प्रस्तुत आई0ए0 नंबर-1 व 2 स्वीकार किये जाने योग्य है? यदि हाँ तो प्रभाव -
- 2- क्या अधीनस्थ न्यायालय ने आलोच्य निर्णय पारित करने में विधि एवं तथ्यों की भूल की है ?
- 3- क्या अपील स्वीकार की जाकर वादी/अपीलार्थीगण का वाद डिक्री किए जाने योग्य है ?

**-::- निष्कर्ष के आधार -::-**

**विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1, 2 एवं 3**

12. अभिलेख पर उपलब्ध लेखीय एवं मौखिक साक्ष्य तथा उभयपक्ष की ओर से उठाये गये बिन्दुओं को देखते हुए तीनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण पुनरावृत्ति न हो इस कारण सुविधा की दृष्टि से एक साथ किया जा रहा है। उभय पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर मनन किया गया। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के मूल अभिलेख का अध्ययन व परिशीलन किया गया। विधि के मान्य सिद्धांतों पर चिंतन किया गया।

13. सर्वप्रथम अपील स्तर पर प्रस्तुत किये गये अपीलार्थी के दोनों आवेदन पत्रों का निराकरण करना उचित व न्यायसंगत होगा। आई0ए0नंबर-1 के माध्यम से अपीलार्थी/वादी ने कमिश्नर नियुक्त कर स्थल निरीक्षण कराये जाने की प्रार्थना की है कि किसी राजस्व कर्मचारी या अधिकारी से मौके की जांच कराई जावे कि निर्माण सर्वे नंबर-1337 में है या सर्वे नंबर-1563 में है जिसके जवाब में विरोध करते हुए मूलतः यह आपत्ति ली गई है कि अपीलार्थी/वादी कमिश्नर के माध्यम से साक्ष्य एकत्रित करना चाहता है जिसकी अनुमति दी जा सकती है।

14. इस संबंध में अपीलार्थी/वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने लिखित व मौखिक तर्कों में प्रत्यर्थी/प्रतिवादी क्र0-1 व 2 के द्वारा सर्वे क्रमांक-1337 की दक्षिण दिशा में 15 फीट लंबाई में और 6 फीट चौड़ाई में अतिक्रमण करके नींव खोदकर अवैध निर्माण कर लिया है जिनके पिता कंचनसिंह ने सर्वे नंबर-1563 के 17 विस्वा में से 1/8 भाग क़य किया था। अपीलार्थी/वादी ने अपनी भूमि का सीमांकन भी कराया था किन्तु सीमांकन की रिपोर्ट को विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने प्रमाणित नहीं माना और विश्वास नहीं किया। इसलिये आदेश 26 नियम 9 सीपीसी के प्रावधान अनुसार विवाद के वास्तविक निराकरण के लिये मौके का स्थल निरीक्षण कराया जाना आवश्यक है कि वादी के सर्वे क्रमांक-1337 पर प्रतिवादी द्वारा मकान बनाया गया है या नहीं। तर्कों के समर्थन में उन्होंने न्याय दृष्टांत बालूसिंह विरुद्ध रंजीत

1996 भाग-1 एम0पी0डब्ल्यू0एन0 एस0एन0-78, शकूरखाँ विरुद्ध बाबूखाँ 1999 राजस्व निर्णय पेज-184, एवं दुर्गाप्रसाद विरुद्ध परवीन फौजदार एवं अन्य 1975 जे0एल0जे0 पेज-340 पेश किये हैं।

15. प्रत्यर्थी/प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्कों में यही आपत्ति की है कि कब्जा विनिश्चय के लिये कमीशन जारी नहीं किया जा सकता है। और अपीलार्थी/वादी अपनी विफलता को छुपाने के लिये एवं कमी की पूर्ति के लिये स्थल निरीक्षण कराना चाहता है जो विधि अनुसार सक्षम नहीं है इसलिये आवेदन निरस्त किया जावे।

16. प्रकरण की मूल विषयवस्तु के चिन्तन मनन करने पर प्रकट होता है कि अपीलार्थी/वादी के द्वारा मूल वाद स्थाई एवं आज्ञापक व्यादेश की डिक्री बाबत पेश किया गया था जिसमें उसने अपने स्वामित्व व आधिपत्य के सर्वे नंबर-1336 रकवा 0.37 एवं 1337 रकवा 0.10 है0 स्थित ग्राम चन्दहारा तहसील गोहद के संबंध में पेश करते हुए वाद कारण दिनांक 01.01.11 को प्रत्यर्थी/प्रतिवादीगण द्वारा मौके पर नींव खोदने और निर्माण करने की दुर्भावना से निर्माण सामग्री एकत्रित करना प्रारंभ कर देने एवं दिनांक 18.02.11 को जब वह अपनी ससुराल विवाह समारोह में शामिल होने के लिये मय परिवार के गया था तब उसकी अनुपस्थिति का अनैतिक लाभ लेते हुए छः फीट उंची दीवाल का निर्माण कर लेने से उत्पन्न होना बताया है जिससे प्रत्यर्थी/प्रतिवादीगण ने अपने अभिवचनों में इन्कार किया है। तथा यह भी उल्लेखित किया है कि सर्वे नंबर-1337 में वादी का कोई हिस्सा ही शेष नहीं है तथा प्रत्यर्थी/प्रतिवादी क्र0-1 व 2 की माँ दौजा बाई पति की मृत्यु के बाद सर्वे नंबर-1563 पर अपने हिस्से का मकान बनाना चाहती है जिससे वाद का कोई संबंध सरोकार ही नहीं है और उसने परेशान करने के लिये दावा किया है।

17. आदेश 26 नियम 9 सीपीसी के मुताबिक— **स्थानीय अन्वेषण करने के लिये कमीशन—** किसी भी वाद में जिसमें न्यायालय विवाद में किसी विषय के विषदीकरण के या किसी संपत्ति के बाजार मूल्य के या किन्हीं अन्तःकालीन लाभों या नुकसानी या वार्षिक शुद्ध लाभों की रकम के अभिनिश्चयन के प्रयोजन के लिये स्थानीय अन्वेषण करना, अपेक्षणीय या उचित समझता है, न्यायालय ऐसे व्यक्ति के नाम जिसे वह ठीक समझे, ऐसा अन्वेषण करने के लिये और उस पर न्यायालय को रिपोर्ट देने के लिये उसे निदेश देते हुए कमीशन निकाल सकेगा।

परन्तु जहाँ राज्य सरकार ने उन व्यक्तियों के बारे में नियम बना दिये हैं जिनके नाम ऐसा कमीशन निकाला जा सकेगा, वहाँ न्यायालय ऐसे नियमों से आबद्ध होगा।

18. हस्तगत मामले में वादी/अपीलार्थी के मुताबिक सर्वे नंबर-1337 के दक्षिणी दिशा की तरफ 15 फीट लंबाई में और 5 या 6 फीट चौड़ाई में निर्माण बताया है। साक्ष्य में दीवाल का निर्माण कर लेना कहा गया है किन्तु वाद पत्र के अभिवचनों के संदर्भ में कोई नजरी नक्शा या अख्खा या अन्य कोई ऐसा दस्तावेज सीमांकन रिपोर्ट के अलावा अभिलेख पर पेश नहीं किया



गया है। सीमांकन रिपोर्ट की विश्वसनीयता मूल अपील के विश्लेषण में देखी जायेगी। आदेश 26 नियम 9 सीपीसी के प्रावधान का उपयोग किसी लोप की पूर्ति के उद्देश्य से नहीं किया जा सकता है। इसलिये अधीनस्थ न्यायालय के निष्कर्ष को प्रभावहीन करने के उद्देश्य से आवेदन का पेश किया जाना यदि माना जाये तो वह सद्भावी नहीं रह जाता है।

19. अपीलार्थी/वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस बिन्दु पर जो उपर वर्णित न्याय दृष्टांत पेश किये गये हैं उनमें से बाबूसिंह विरुद्ध रंजीत के मामले में कुंए का विवाद था कि कुंआ सर्वे नंबर-680 में विद्यमान है या 679 में है। इस स्थिति को स्पष्ट कराने के लिये कमिशनर की नियुक्ति को माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा उचित माना था। ऐसी स्थिति हस्तगत मामले में नहीं है। न ही विरोधी आधिपत्य का बिन्दु प्रकरण में है जैसा कि न्याय दृष्टांत के मामले में था इसलिये उसका लाभ प्रकरण में नहीं मिल सकता है। तथा शकूरखों विरुद्ध बाबू खों के न्याय दृष्टांत में कृषिक भूमि की पहचान और मांप का प्रश्न था जिसके लिये राजस्व अधिकारी को स्थानीय कमिशनर के रूप में नियुक्त किये जाने संबंधी मार्गदर्शन दिया गया है क्योंकि कृषि योग्य भूमि के संबंध में राजस्व अधिकारी कर्मचारी ही सबसे उपयुक्त और सक्षम विशेषज्ञ होते हैं। दुर्गाप्रसाद विरुद्ध परवीन फौजदार वाले न्याय दृष्टांत में अतिक्रमण का बिन्दु अवश्य था और कोई स्वीकृत नक्शा पेश नहीं था जिस संदर्भ में स्थल निरीक्षण हेतु कमिशनर की नियुक्ति को आदेश 26 नियम 9 सीपीसी के अंतर्गत उपयुक्त माना गया। इस प्रकरण में उभयपक्ष की ओर से कोई नक्शे भी पेश नहीं हैं। ऐसी स्थिति में अतिक्रमण और निर्माण के बिन्दु पर साक्ष्य संकलन के आशय का ही आवेदन प्रस्तुत होना प्रकट होता है।

20. माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टांत **चुन्नीलाल विरुद्ध रामचंद्र 2002 भाग-2 एमपी0डब्ल्यू0एन0 एस0एन0 105** में यह मार्गदर्शित किया गया है कि विवादित संपत्ति पर वास्तविक कब्जा अभिनिश्चय करने के लिये कमीशन जारी नहीं किया जा सकता है। न ही कमीशन के माध्यम से साक्ष्य एकत्रित की जा सकती है और यह भी निष्कर्ष दिया है कि वाद प्रश्नों को न्यायालय द्वारा स्वयं साक्ष्य के आधार पर विनिश्चित करना चाहिए। ऐसी स्थिति में जिस आशय के स्थल निरीक्षण की प्रार्थना करते हुए आवेदन पेश किया गया है वह सद्भावी होकर सद्भावनापूर्ण नहीं पाया जाता है फलतः आई0ए0नंबर-1 का आवेदन पत्र निरस्त किया जाता है।

21. आई0ए0नंबर-2 के माध्यम से अपीलार्थी/वादी की ओर से सूची अनुसार दस्तावेजों को अभिलेख पर अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में ग्रहण किये जाने की प्रार्थना की गई है। तर्कों में दस्तावेजों को स्वामित्व प्रमाणित करने के उद्देश्य से अभिलेख पर लिये जाने की प्रार्थना की गई है जिसका भी प्रत्यर्थी/प्रतिवादीगण की ओर से अपने जवाब में विरोध किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के आलोच्य निर्णय में पुष्टतैनी स्वत्व संबंधी प्रमाण पेश न किये जाने का उल्लेख किया गया है जिसके आधार पर उक्त आवेदन पेश



किया गया है।

22. आदेश 41 नियम 27 सी0पी0सी0 के प्रावधान के तहत अपीलीय न्यायालय में अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में कोई पक्षकार मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य पेश कर सकता है, लेकिन उसमें जो शर्त है उसके मुताबिक ऐसे दस्तावेजों को विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा साक्ष्य में ग्राह्य करने से इंकार किया हो अथवा पक्षकार उसे सम्यक तत्परतापूर्वक बरतने के बावजूद भी विद्वान अधीनस्थ न्यायालय में पेश ना कर सका हो। तीसरा अपीलीय न्यायालय के द्वारा ऐसी कोई अपेक्षा की गई हो और यदि आवेदन पत्र स्वीकार किया जाता है तो उसके कारणों को लेखबद्ध किया जाना आवश्यक है।

23. आई0ए0नंबर-2 के आवेदन के साथ जो दस्तावेज पेश किये गये हैं, वही सर्वे क्रमांक-1336, 1337 की भूमि से संबंधित होकर राजस्व अभिलेख अर्थात् खसरा की प्रमाणित प्रतिलिपियाँ संवत् 2054 से 2058 एवं नकल आवेदन की प्रमाणित प्रतिलिपि है जिनमें अपीलार्थी/वादी के पिता ख्याली का बतौर भूमिस्वामी इन्द्राज अन्य लोगों के साथ है जिससे अपीलार्थी/वादी की सर्वे नंबर-1336, 1337 की भूमि पैतृक संपत्ति होना दर्शित होता है। प्रकरण में मूल विवाद इस बिन्दु पर नहीं है कि सर्वे नंबर-1336, 1337 का भूमिस्वामी कौन है, बल्कि इस बिन्दु का विवाद है कि जो प्रतिवादीगण निर्माण कर रहे हैं या करना चाहते हैं, वह भूमि किसकी है? क्या कोई अतिक्रमण है या नहीं। ऐसी स्थिति में उक्त दस्तावेजों को पैतृक भूमि स्थापित करने के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख पर अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में ले लिये जाने से गुण-दोषों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है और उन्हें ग्रहण करने पर पुनः विचारण की आवश्यकता भी नहीं रहती है। ऐसी स्थिति में आई0ए0नंबर-2 का आवेदन पत्र राजस्व इन्द्राज के संदर्भ में स्वीकार योग्य होना प्रतीत होते हैं। फलतः आई0ए0नंबर-2 का आवेदन पत्र वाद विचार स्वीकार कर प्रस्तुत दस्तावेजों को अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में ग्रहण किया जाता है। किन्तु उसके आधार पर प्रकरण प्रत्यावर्तित किये जाने योग्य नहीं है क्योंकि स्वामित्व का बिन्दु प्रश्नगत न होकर निर्माण का बिन्दु मूलतः विश्लेषित किये जाने के लिये अन्तर्वर्तित है जो कि उभयपक्ष की विचारण न्यायालय के समक्ष पेश की गई मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर निष्कर्षित करना होगा।

24. जहाँ तक मूल अपील का प्रश्न है, मूल अपील के संबंध में वादी/अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि उनके स्वामित्व व आधिपत्य के सर्वे क्रमांक-1336 एवं 1337 की भूमि का मौके पर एक ही खेत है जो उसकी पैतृक संपत्ति होकर उसके स्वामित्व व आधिपत्य की है। किन्तु प्रतिवादीगण सर्वे नंबर-1337 के रकवे में निर्माण कार्य कर रहे हैं और उसकी अनुपस्थिति में निर्माण कार्य कर लिया है जिसके कारण दावा करना पड़ा था तथा मौके की जांच हुई थी, सीमांकन हुआ था और पांच फीट उंची दीवाल का निर्माण पाया गया था जिसे वादी/अपीलार्थी आज्ञापक व्यादेश जारी कराके हटवाने का वैध पात्र है। वादी की ओर से जो मौखिक साक्ष्य पेश की गई है,

उसमें भी अवैध निर्माण पाया गया है और सुदृढ़ साक्ष्य पेश की गई है। तर्कों में उनकी ओर से यह भी बताया गया है कि सर्वे नंबर—1337 एवं 1563 के बीच में गांव का रास्ता है जिसे तोड़कर निर्माण कार्य कर लिया गया है। तर्कों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि 18 फरवरी—2011 की रात में निर्माण कार्य किया था। जब वादी अपने परिवार के साथ ससुराल में विवाह समारोह में शामिल होने गया था और अभिवचनों में 18—19 फरवरी इसी कारण से अंकित की गई जिसे विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने भ्रम में पड़कर गलत रूप से अर्थान्वयन कर त्रुटिपूर्ण निष्कर्ष निकाला है और प्रतिवादी के साक्षी जो पेश किये गये हैं उन्हें तथ्यों की कोई जानकारी नहीं है इसलिये मूल वाद डिक्री योग्य है और अतिक्रमण को हटाया जावे। तथा वादी/अपीलार्थी के कब्जे को बहाल किया जावे।

25. प्रत्यर्थी/प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि वादी स्वच्छ हाथों से न्यायालय के समक्ष नहीं आया है क्योंकि वादी ने तहसील में जो आवेदन दिया था उसे अभिवचनों में प्रकट न करके छुपाया है और जो सीमांकन कराया है वह भी एकपक्षीय था। जो निरर्थक पाया गया है और विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने भी उस पर स्पष्ट और सकारण निष्कर्ष दिये हैं जो पुष्टि योग्य है। तथा प्रतिवादीगण का निर्माण सर्वे नंबर—1563 में है जिसका उन्होंने वयनामा भी पेश किया है। और वादी अपने वाद आधार को प्रमाणित करने में असफल है तथा वह प्रतिवादी की किसी कमजोरी का लाभ नहीं ले सकता है। इसलिये दावा काल्पनिक व मनगढ़न्त होने से उचित रूप से खारिज हुआ है जो यथावत रखा जावे। खण्डन में वादी/अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि तहसील की कार्यवाही न्यायिक कार्यवाही नहीं होती है इसलिये उसके बारे में उल्लेख नहीं किया गया था और प्रकरण में प्रतिवादीगण की ओर से न तो कोई प्रतिदावा किया गया है और न ही वाद विधि द्वारा वर्जित होने का कोई वाद प्रश्न है इसलिये प्रतिवादीगण के आधार और उनके विद्वान अधिवक्ता के तर्क विधि विरुद्ध होकर अग्राह्य किये जाने योग्य है और दावा डिक्री किया जावे। इसी आशय के लिखित तर्कों में भी वादी/अपीलार्थी की ओर से तथ्य बताये गये हैं।

26. वादी/अपीलार्थी द्वारा मूल वाद में जो डिक्री चाही गई है उसमें सर्वे क्रमांक—1336 एवं 1337 की भूमि के संबंध में विवाद बताते हुए अनुतोष के पैरा—2 में सर्वे क्रमांक—1337 की दक्षिणी दिशा में प्रतिवादीगण द्वारा 15 फीट लंबाई में और 5 फीट चौड़ाई में निर्माण कार्य कर लेने से उसे हटाये जाने, अतिक्रमण हटाये जाने और निर्माण कार्य को स्थाई रूप से निषेधित करने की सहायताएं चाही हैं। यह सुस्थापित विधि है कि सिविल मामलों में पक्षकारों के अधिकार और दायित्व वाद प्रस्तुति दिनांक को निर्धारित होते हैं। जैसा कि न्याय दृष्टांत **सीताराम विरुद्ध रामचरण 1994 भाग—1 एम0पी0जे0आर0 पेज—285** में मार्गदर्शित किया गया है। सिविल मामलों के संबंध में यह भी सुस्थापित विधि है कि प्रत्येक सिविल मामले का निराकरण प्रबल संभावनाओं के संतुलन के आधार पर किया जाता है। जैसा कि न्याय दृष्टांत **हसमताराव**

**विरुद्ध रघुनाथ प्रसाद 1982 एम0पी0आर0सी0जे0 पेज-1** में मार्गदर्शित किया गया है और सिविल मामलों के संबंध में यह भी सुस्थापित सिद्धान्त है कि जिस बिन्दु पर अभिवचन किये जाये और उस पर यदि साक्ष्य पेश न की जाये तो ऐसे अभिवचन प्रमाणित नहीं माने जाते हैं। और जिस बिन्दु पर साक्ष्य पेश की जाये और अभिवचन न किये जायें तो ऐसी साक्ष्य भी ग्राह्य योग्य नहीं होती है। यह भी उक्त न्याय दृष्टांत में मार्गदर्शित किया गया है तथा **गणेश विरुद्ध श्रीनाथ 1986 भाग-2 एम0पी0डब्ल्यू0एन0 एस0एन0-193** में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि जहाँ अभिवचन और साक्ष्य विरोधाभाषी हों तो ऐसी साक्ष्य पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए। तथा यह भी सुस्थापित विधि है कि जहाँ उभयपक्ष की ओर से मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य पेश की जाती है वहाँ संपूर्ण साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष निकालने होते हैं किन्तु प्रमाण भार उसी पर होता है जो न्यायालय से सहायता चाहता है। हस्तगत मामले में वादी/अपीलार्थी द्वारा सहायता चाही गई है। प्रत्यर्थी/प्रतिवादीगण का कोई प्रतिदावा या प्रत्याक्षेप (counter claim or cross objection) पेश नहीं है। इसलिये जो सहायताएँ मूलतः वादी/अपीलार्थी द्वारा चाही गई हैं। वे उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर प्रमाणित होते हैं या नहीं। और इस संबंध में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई विधि या तथ्य संबंधी त्रुटि या भूल की गई है या नहीं, यह मूल्यांकित करना होगा।

27. मूल प्रकरण के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादी/अपीलार्थी की ओर से स्वयं वादी इन्द्रसिंह वा0सा0-1, जगदीश वा0सा0-2, हरिकेश वा0सा0-3 एवं पटवारी लोकेश शाक्य वा0सा0-4 क कथन कराते हुए प्र0पी0-11 के दस्तावेज पेश किये हैं। खण्डन में प्रतिवादी क्र0-1 लगायत 3 की ओर से स्वयं प्रतिवादी रामौतार प्र0सा0-1, रामजीलाल प्र0सा0-2, मुन्नालाल प्र0सा0-3 और बदनसिंह प्र0सा0-4 का अभिसाक्ष्य कराते हुए प्र0डी0-1 लगायत 4 के दस्तावेज पेश किये गये हैं। इन सभी मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर विषयवस्तु के संदर्भ में मूल्यांकन कर निष्कर्ष निकाले जाना विधिक रूप से आवश्यक है।

28. परीक्षित साक्षियों में वादी इन्द्रसिंह वा0सा0-1 ने अपने अभिसाक्ष्य में विवादित भूमि सर्वे क्रमांक-1336 व 1337 को पैतृक संपत्ति बताते हुए पिता से प्राप्त होना कहा है। इस बिन्दु पर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने वादी के विरुद्ध दस्तावेजों के अभाव में निष्कर्ष निकालते हुए यह कहा है कि वादी पर भूमि कहाँ से और कब आई, इस संबंध में साक्ष्य नहीं है। इस बिन्दु पर आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के अंतर्गत आवेदन स्वीकर कर जो दस्तावेज अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में ग्रहण किये गये हैं, उनके आधार पर विवादित सर्वे क्रमांक-1336 एवं 1337 वादी/अपीलार्थी को अपने पिता ख्यालीसिंह से प्राप्त होना परिलक्षित होते हैं क्योंकि जो खसरा अभिलेख संवत् 2054 से 2068 तक के पेश हुए हैं, उनमें ख्याली भूमिस्वामी के रूप में इन्द्राजित है। प्रत्यर्थी/प्रतिवादीगण सर्वे क्रमांक-1563 में कयशुदा भूमि पर अपना निर्माण

बताकर आये हैं। ऐसी स्थिति में यह तो स्पष्ट हो जाता है कि उक्त सर्वे क्रमांक-1336, 1337 वादी/अपीलार्थी के लिये उसकी पैतृक संपत्ति की श्रेणी में आती है किन्तु मूल विवाद निर्माण और अतिक्रमण को लेकर है। निर्माण व अतिक्रमण के संबंध में कोई नक्शा पेश नहीं किया गया है।

29. मौखिक साक्ष्य में वादी इन्द्रसिंह वा0सा0-1 के द्वारा यह कहा गया है कि प्रतिवादी रामौतार, बटूरी और रामजीलाल झगडालू किस्म के होकर बेईमान व्यक्ति हैं और जबरन लट्ट के बल पर बिना किसी संबंध व सरोकार के उनकी भूमि पर अवैध रूप से नींव खोदकर निर्माण किया है। तथा यह भी बताया है कि उन्होंने दिनांक 01.01.11 को अवैधानिक रूप से विवादित भूमि में नींव खोदने एवं निर्माण करने के लिये मटेरियल इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उसने यह भी कहा है कि निर्माण रोकने के लिये उसने तहसीलदार को आवेदन भी दिया था। तहसीलदार द्वारा मौजा पटवारी के माध्यम से निर्माण कार्य न करने की प्रतिवादीगण को हिदायत भी दी थी। किन्तु जब वह अपनी ससुराल में विवाह समारोह में चला गया था तब उसकी अनुपस्थिति में सर्वे क्रमांक-1337 रकवा 0.10 है0 के दक्षिणी दिशा की ओर 15 फीट लंबाई और 5 फीट चौड़ाई में नींव खोदकर अवैध निर्माण प्रारंभ कर दिया। उसने तहसीलदार गोहद द्वारा दिनांक 18.02.11 को सीमांकन का आदेश करना बताया है और दिनांक 19.02.11 को मौके पर सीमांकन करने पर प्रतिवादीगण के अवैध निर्माण को बताते हुए उसे रोका जाना भी बताया है। किन्तु उसका यह भी कहना है कि प्रतिवादीगण झगडालू और बेईमान व्यक्ति हैं इसलिये वे मौका पाते हुए निर्माण चालू कर देते हैं। इस संबंध में राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदन भी दिया गया था। किन्तु वादी ने प्र0पी0-1 लगायत 11 के जो दस्तावेज पेश किये हैं उनमें तहसीलदार को निर्माण रोके जाने के संबंध में दिये गये आवेदन की प्रति को भी पेश नहीं किया है कि उसमें क्या उल्लेख किया गया था। वादी/अपीलार्थी के वाद आधार के संबंध में मूलतः सीमांकन का दस्तावेज है जिसे वह आधार बनाकर सहायता चाहता है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने सीमांकन की कार्यवाही को दूषित पाया है इसलिये यह भी देखना होगा कि क्या सीमांकन की कार्यवाही वैधानिक रीति से हुई है और उसकी प्रकरण की विषयवस्तु के संबंध में क्या उपयोगिता है? तहसीलदार को निर्माण रोके जाने के संबंध में दिये गये आवेदन को पेश न किये जाने से वादी के विरुद्ध इस आशय की प्रतिकूल उपधारणा निर्मित होगी कि अवश्य ही वह आवेदन उसके प्रतिकूल रहा होगा अन्यथा दस्तावेज के रूप में पेश किया जाता।

30. वादी के अन्य साक्षी जगदीश वा0सा0-2, हरिकेश वा0सा0-3 ने भी इस संबंध में वादी के मुख्य परीक्षण के अनुरूप अपने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि जमीन इन्द्रसिंह की पुश्तैनी है और प्रतिवादीगण रामौतार, लटूरी व रामजीलाल ने जबरन अवैध रूप से इन्द्रसिंह की भूमि हड़पने के लिये निर्माण कर लिया है और तहसीलदार गोहद ने मौजा पटवारी के जरिये निर्माण कार्य न करने की हिदायत प्रतिवादीगण को दी गई। जो दस्तावेज निर्माण के संबंध में पेश किये गये हैं उनके संबंध में वा0सा0-1 ने अभिवचनों में निर्माण रोके जाने

संबंधी तहसीलदार को दिये गये आवेदन पत्र के संबंध में यह स्थिति भी स्पष्ट नहीं की है कि आवेदन किस तारीख को किसके विरुद्ध पेश किया गया है। ऐसे में निर्माण रोके जाने संबंधी आवेदन के संबंध में स्पष्ट अभिवचन और साक्ष्य का अभाव है।

31. प्र0पी0-1 के रूप में राजस्व निरीक्षक की दिनांक 21.02.11 को सीमांकन के संबंध में दी गई रिपोर्ट है जिससे संबंधित प्र0क0-35/2010-2011 अ-12 में पेश किया गया था जिसमें अनावेदक के रूप में मध्यप्रदेश शासन पक्षकार होना दर्शित होता है। जैसाकि प्र0पी0-1 लगायत 3 जो कि सीमांकन रिपोर्ट, उसके पंचनामा और फील्ड बुक है, उसको उनमान में अंकित किया है, उसमें प्रतिवादीगण के नाम का उल्लेख नहीं है। प्र0पी0-1 में इस बात का उल्लेख है कि आवेदक सीमांकन से संतुष्ट है और सीमांकन के समय कोई आपत्ति नहीं आई। प्र0पी0-2 के पंचनामा मुताबिक राजस्व निरीक्षक ने मौजा पटवारी की उपस्थिति में पंचों के समक्ष नापतौल कर सीमांकन किया और सीमा चिन्ह लगाये। फील्ड बुक तैयार की। लेकिन उसमें प्रतिवादीगण का उल्लेख नहीं है कि उन्हें कोई दी गई या नहीं दी गई। ऐसे में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आलोच्य निर्णय की कण्डिका-7 में निकाला गया यह निष्कर्ष कि प्रतिवादीगण को सीमांकन की कार्यवाही के लिये राजस्व अधिकारी, कर्मचारियों द्वारा कोई सूचना नहीं दी गई, पुष्टि योग्य हो जाता है। ऐसे में प्र0पी0-1 लगायत 3 के आधार पर यह निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि प्रतिवादीगण के द्वारा कोई अतिक्रमण करके वादी की भूमि पर निर्माण कार्य किया गया।

32. वादी/अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत की गई मौखिक साक्ष्य में तहसीलदार व मौजा पटवारी के द्वारा निर्माण कार्य न करने की हिदायत प्रतिवादीगण को दिनांक 01.01.11 के बाद दिये जाने के पश्चात से वादी ने अपने ससुराल चले जाना और उस दौरान सर्वे क्रमांक-1337 की दक्षिणी दिशा की ओर 15/5 फीट की नींव खोदकर अवैध निर्माण कर लेना बताया है। तथा 18 फरवरी-2011 को ससुराल में विवाह समारोह में शामिल होने के लिये जाने का तर्क किया गया है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने पैरा-8 में यह निष्कर्षित किया है कि 18-19 फरवरी 2011 की अवधि में निर्माण वादी बताता है जबकि दिनांक 18.02.11 को तहसीलदार द्वारा सीमांकन का आदेश किये जाने पर अगले दिन 19.02.11 को मौके पर सीमांकन कर प्र0पी0-2 का पंचनामा और प्र0पी0-3 की फील्ड बुक मुताबिक किया गया है जिस पर वादी इन्द्रसिंह के हस्ताक्षर हैं। साक्ष्य में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि किस दिनांक को वह अपनी ससुराल गया था। ऐसे में सीमांकन की कार्यवाही दूषित हो जाती है क्योंकि तर्कों में यह स्पष्टीकरण पर्याप्त नहीं है कि 18 फरवरी को विवाह में गया था और अगले दिन 19 फरवरी को लौट आया था।

33. प्र0पी0-4 का आवेदन तहसीलदार गोहद को दिनांक 21.02.11 को दिया जाना प्रकट किया गया है जिसमें बटुरी एवं रामौतार के द्वारा अवैध निर्माण कार्य करने पर उसे तत्काल रोके जाने की प्रार्थना की गई थी। प्र0पी0-4 के

आवेदन में निर्माण 18-19 फरवरी की अवधि में उस समय का बताया गया है कि जब वादी अपने परिवार के साथ रिश्तेदारी में विवाह समारोह में शामिल होने गया था। ऐसे में प्र0पी0-2 व 3 जिन पर 19 फरवरी-2011 की स्थिति में वादी की मौके पर उपस्थिति बताई गई है वह प्र0पी0-4 के विवरण से विरोधाभाषी हो जाती है। ऐसे में मौखिक साक्ष्य व दस्तावेजी साक्ष्य में विरोधाभाष और अभिवचनों का लोप वादी/अपीलार्थी के आधार को निर्बल बनाता है और ऐसी स्थिति में वादी/अपीलार्थी का स्वच्छ हाथों से न आना प्रकट होता है। जैसाकि आलोच्य निर्णय की कण्डिका-8 में भी निष्कर्षित किया गया है जो दस्तावेजों को देखते हुए पुष्टि योग्य है।

34. प्र0पी0-7 के रूप में राजस्व निरीक्षक के प्रतिवेदन सर्वे क्रमांक-1336 व 1337 के स्थल निरीक्षण बाबत पेश किया है जो तहसीलदार के समक्ष चले प्र0क0-6/10-11अ-70 में पेश किया गया था जिसमें आर0आई0 द्वारा निरीक्षण करने के दौरान सर्वे नंबर-1336 की भूमि पर सरसों की फसल खड़ी होना, कुछ रकवे पर क्रेताओं के मकान बने होना, तथा भूमिस्वामी द्वारा भूमि बेचे जाने का उल्लेख किया गया है तथा उक्त प्रतिवेदन में सर्वे नंबर-1337 की दक्षिणी दिशा की तरफ के हिस्से में रामौतार द्वारा नींव खोदकर अवैध रूप से मकान निर्माण किये जाने का उल्लेख किया है जो 15/5 रिपोर्ट में बताया है। इस तरह से सर्वे क्रमांक-1336 में सरसों की फसल का उल्लेख किया गया है। लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि उक्त सर्वे की पूरी भूमि में सरसों की फसल पाई या कुछ हिस्से में पाई किन्तु यह स्पष्ट अवश्य होता है कि सर्वे नंबर-1336 में कोई अवैध निर्माण नहीं पाया गया है। जहाँ तक सर्वे क्रमांक-1337 की दक्षिणी दिशा के 15/5 वर्गफीट का निर्माण है, वह पंचों के बताये अनुसार लिखा गया है। लेकिन नापतौल किसके द्वारा की गई, उसका स्पष्ट हवाला नहीं है।

35. उक्त प्र0पी0-7 की रिपोर्ट के पूर्व मौके का निरीक्षण कर बनाया गया पंचनामा प्र0पी0-8 के रूप में पेश किया है जिसमें सर्वे नंबर-1337 के दक्षिणी तरफ रामौतार की नींव खोदकर अवैध निर्माण 15/5 वर्गफीट में बताया किन्तु निर्माण किस रूप में हुआ अर्थात् मकान बना या दीवाल बनी या अन्य प्रकार का निर्माण है, यह स्पष्ट नहीं है। और उक्त कार्यवाही के संबंध में भी यह स्पष्ट नहीं है कि प्रतिवादीगण को कोई सूचना आर0आई0 पटवारी द्वारा दी गई थी या नहीं। प्र0पी0-9 के रूप में जो तहसीलदार के उक्त प्रकरण में जारी स्थगन आदेश दिनांक 24.02.11 का पेश किया गया है, उसमें बटुरी एवं रामौतार को निषेधित किये जाने का उल्लेख किया गया है। तहसीलदार के उक्त प्रकरण क्रमांक-06/2010-11/अ-70 का अंतिम परिणाम क्या है, इस संबंध में कोई स्थिति न तो साक्ष्य में स्पष्ट की है न ही तर्कों में इसलिये जो कारण राजस्व निरीक्षक द्वारा बताया गया वह वास्तविक स्थिति को स्पष्ट नहीं करता है। तथा अभिलेख पर जो साक्ष्य आई है, उसके मुताबिक वादी/अपीलार्थीके द्वारा निर्माण करते हुए नहीं देखा गया है। आर0आई0 के द्वारा भी नहीं देखा गया है। पंचों के बताये अनुसार ही प्र0पी0-8 तैयार किया



गया है जिसमें पंचों के रूप में कुछ हस्ताक्षर हैं, उनमें से कुछ साक्षी के रूप में पेश नहीं हैं। इसलिये प्र०पी०-8 व प्र०पी०-9 का अवलंब नहीं लिया जा सकता है।

36. मौके की स्थिति के संबंध में अभिलेख पर प्रतिवादीगण की ओर से जो चार साक्षी रामौतार, रामजीलाल, मुन्नालाल और बदनसिंह प्र०सा०-1 लगायत 4 के रूप में पेश हुए हैं, उन्होंने अपने अभिसाक्ष्य में यह स्पष्ट रूप से कहा है कि सर्वे नंबर-1336, 1337 का सीमांकन उनके समक्ष नहीं हुआ और प्रतिवादी बटुरी पिता की मृत्यु के बाद अपनी माँ के साथ रहता है। बटुरी के पिता कंचनसिंह ने करीब 35 साल पहले भोपत पुत्र लल्ली से जमीन खरीदी थी जो सर्वे नंबर-1563 में से भोपत ने अपने 1/8 हिस्सा बेचा था। उसी में इंदिरा आवास योजना के तहत मिली राशि से कमरा बनवाया है औ वादी उन्हें परेशान करने के लिये झूठा दावा लेकर आया है। परेशान करने पर वा०सा०-1 ने अपनी माँ दौजाबाई के नाम से एस०डी०एम० गोहद को और कलैक्टर भिण्ड को शिकायत की थी, उसकी जांच भी हुई थी। जांच में वादी इन्द्रसिंह को यह कहा गया था कि वह परेशान न करे क्योंकि प्रतिवादी अपनी जगह पर दीवाल बना रहे हैं। इन्द्रसिंह द्वारा उनकी झूठी शिकायत भी की गई थी ऐसा ही प्र०सा०-2 ने भी कथन किया है। और अपनी भूमि में निर्माण करने का समर्थन प्र०सा०-3 व 4 ने भी किया है। प्रतिवादीगण की ओर से एस०डी०एम० को की गई दौजाबाई की शिकायत की प्रति प्र०डी०-1 के रूप में तथा कंचनसिंह द्वारा भोपत से खरीदी जमीन के विक्रय पत्र की मूल प्रति प्र०डी०-2 के रूप में पेश की गई है। जिसमें भोपत ने अपना 1/8 हिस्सा विक्रय करना बताया है तथा ख्याली द्वारा भोपत को किये गये विक्रय पत्र की मूल प्रति प्र०डी०-3 के रूप में पेश की गई है। और ख्याली वादी/अपीलार्थी का पिता है। प्रतिवादीगण की मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से उनके पिता कंचनसिंह द्वारा भूमि खरीदी जाना और निर्माण करना परिलक्षित होता है।

37. मौके की स्थिति के संबंध में जो साक्ष्य अभिलेख पर आई है, उसमें वा०सा०-1 ने सर्वे नंबर-1337 के चारों तरफ खेत बताया है और वादी विवादित खेत के चारों तरफ मेड बताते हुए दक्षिण भाग में रामौतार, बटुरी के मकान तथा उत्तर में परशुराम का मकान बताता है। जबकि वा०सा०-2 परशुराम के स्थान पर इन्द्रसिंह का ही मकान बताता है। जबकि हरिकेश वा०सा०-3 वा०सा०-1 व वा०सा०-2 से भिन्न चतुर्सीमा बताता है जिससे वादी साक्षियों में मौके की स्थिति बाबत एकरूपता नहीं है। इसके अलावा वा०सा०-1 के मुताबिक सीमांकन की कार्यवाही गांव के रास्ते में गांव के करीब 50 लोगों की मौजूदगी में होना वह कहता है। उसके अन्य साक्षी भी रास्ते में ही कार्यवाही करना बताता है। जबकि रास्ते में होना संभव नहीं है। जबकि सीमांकन मौके पर संबंधित खेत पर होता है। ऐसे में सीमांकन की कार्यवाही जो वादी का मूल आधार है, वह दूषित प्रकृति की हो जाती है। और वा०सा०-2 अपने अभिसाक्ष्य में प्रतिवादीगण द्वारा अवैध निर्माण के बारे में स्पष्ट नहीं है। ऐसे में मूल विवाद अवैध निर्माण बाबत अभिवचन और साक्ष्य विरोधाभासी है जिससे विद्वान अधीनस्थ



न्यायालय द्वारा वाद प्रश्न क्रमांक-1 को वादी/अपीलार्थी के विरुद्ध निर्णीत करने में कोई तथ्यात्मक या विधि संबंधी भूल या त्रुटि नहीं की गई है और अभिलेख पर इस आशय की सुदृढ़ साक्ष्य नहीं है कि सर्वे नंबर-1336 व 1337 के किसी भू-भाग पर प्रतिवादीगण के द्वारा ही अतिक्रमण करके कोई अवैध निर्माण किया गया है। यदि प्रत्यर्थी/प्रतिवादीगण द्वारा सर्वे नंबर-1563 के अलावा सर्वे नंबर-1337 के मध्य बताये गये आम रास्ते को घेरते हुए अतिक्रमण किया होता तो इस संबंध में शासन कार्यवाही करता और राजस्व निरीक्षक की रिपोर्ट में भी उल्लेख आता। इससे भी वादी/अपीलार्थी द्वारा बताये गये अतिक्रमण का खण्डन होता है। ऐसे में वादी/अपीलार्थी के द्वारा चाही गई स्थाई एवं आज्ञापक व्यादेश की डिक्री उसे प्रदान नहीं की जा सकती है। और इस दृष्टि से विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आलोच्य निर्णय में निकाले गये निष्कर्ष मुताबिक वाद खारिज करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में अपील ज्ञापन में लिये गये आधार और उठाये गये बिन्दु कोई विधिक महत्व नहीं रखते हैं। अतः वादी/अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रथम सिविल अपील सारहीन होने से सव्यय निरस्त की जाती है।

38. प्रकरण में उत्पन्न परिस्थितियों में वादी/अपीलार्थी अपने व्यय के साथ साथ प्रत्यर्थी/प्रतिवादीगण का वाद व्यय भी वहन करेगा जिसका अभिभाषक शुल्क प्रमाणित होने पर या तालिका अनुसार जो भी कम हो जोड़ा जावे।

तदनुसार डिक्री बनाई जावे।

दिनांक— **07.05.2015**

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित व  
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया

मेरे बोलने पर टंकित किया गया

**(पी0सी0आर्य)**

द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश  
गोहद जिला भिण्ड

**(पी0सी0आर्य)**

द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश  
गोहद जिला भिण्ड